न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2024/695

1. कमली देवी पत्नी बालू राम यादव, जाति यादव,
2. सन्ती देवी पत्नी लीलाराम यादव, जाति यादव,
3. रामेश्वरी पत्नी बनवारी लाल यादव, जाति यादव,
4. हंसा कँवर पत्नी श्रवणी सिंह जाति राजपूत,
5. श्रवण सिंह पुत्र मगन सिंह, जाति राजपूत,
6. बनवारी पुत्र हनुमान जाति यादव,
7. लीलाराम पुत्र हनुमान जाति यादव,
8. बालूराम पुत्र हनुमान, जाति यादव, समस्त निवासी ग्राम लहाकना कलां तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला कोटपूतलली–बहरोड़ राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत लुहाकना कलां जरिये सरपंच, पंचायत समिति विराटनगर जयपुर हाल कोटपूतली–बहरोड़
3. फुली देवी पत्नी फूलाराम,
4. प्रभूदयाल,
5. आची देवी,
6. नाथूराम,
7. सुरेन्द्र,
8. ग्यारसीलाल,
09. धमेन्द्र समस्त निवासी ग्राम लुहाकना कलां, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतल–बहरोड़।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र कुमार यादव, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रामचन्द्र देगड़ा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से,
3. श्री हेमन्त दीक्षित, एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 9 की ओर से,

दिनांकः 03.12..2025

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2022 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि तहसील विराटनगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत लहाकना कला से मिलीभगत कर ग्राम लुहाकना कलां के हाल खसरा नम्बरान 699, 700, 800, 701, 800/1, 801, 806, 807 वाके ग्राम लुहाकना कला तहसील विराटनगर के सम्बन्ध में अपनी फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये उक्त खसरा नम्बरान में से रास्ता गुजरने के तथ्य दर्ज करके उक्त आराजी खसरा नम्बरान में राजस्व विभाग ग्रुप–6 विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक

P.T.O.

10.08.2016 के क्रम में उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष दिनांक 09.06.2022 को पटवारी हल्का द्वारा तहरीर की गई रिपोर्ट मय प्रस्तावित नजरी नक्शा पर अपने काउन्टर हस्ताक्षर करते हुये प्रस्तुत किया गया जबकि अपीलार्थी के उक्त खसरा नम्बरान में दर्ज करने के सम्बन्ध में उक्त तथाकथित मौके निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 09.06.2022 के द्वारा बिना मौके व कब्जे की वस्तुस्थिति की जांच किये बिना ही एवं बिना अपीलार्थीगण को सूचित किये ही अपीलार्थीगण की काश्त की खातेदारी भूमि गैर मुमकिन रास्ता हेतु मौके व राजस्व भू अभिलेखों में एवं राजस्व नक्शे मे तरमीम किये जाने का अवैध अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 को पारित किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि राजस्व भू अभिलेखों में मौके व कब्जे के विपरीत जाकर अवैध रास्ता अमल दरामद किया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को कभी भी नही हो सकी। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा मौके पर जे.सी.बी. लगाकर राजस्व भू अभिलेखों में एकपक्षीय कानूनी प्रक्रिया के विपरीत पारित अपीलाधीन आदेश के माध्यम से दर्ज अवैध रास्ता कायम करने की नाकाम कोशिश दिनांक 05.12.2024 को की गई जिसका विरोध अपीलार्थी द्वारा किये जाने पर अपीलाधीन आदेश के माध्यम से राजस्व भूमि अभिलेखों मे दर्ज रास्ते के बारे मे अवगत करवाया जिस पर अपीलार्थीगण ने उनकी आराजी में अवैध रूप से दर्ज किये गये रास्ते पर आपत्ति जताते हुए सरपंच लुहाकना कलां व उसके साथ आये भू माफिया लोगों को मौके से से शान्तिप्रद तरीके से भेज दिया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश की जानकारी कर अपीलार्थीगण ने दिनांक 12.12.2024 को आवेदन करके सम्पूर्ण पत्रावली मय अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त कर पत्रावली का अवलोकन करवाया तो सरपंच द्वारा स्वयं को नाजायज लाभ प्राप्ति हेतु राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त अवैध अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय अपीलार्थीगण प्रभावित होने वाले पक्षकार को साक्ष्य, समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना ही दिनांक 02.11.2021 का स्वयं के हस्ते स्टाम्प कीमत 100/–रूपये खरीद कर तृतीय पक्षकारान के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी दर्ज करवाते हुये अवैध अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय को मुगालता आमेज कर प्राप्त किया है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2022 विधि, विधान, पत्रावली पर उपलब्ध कथ्यों, साक्ष्यों, सबूतों के सर्वथा प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पूर्णतः मनमाना अयुक्तियुक्त आदेश की परिभाषा में समाहित होकर नोन स्पिकिंग आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व कानूनी हक अधिकारों पर न तो कोई न्यायिक विवेक लगाया तथा ना ही उन पर कोई न्यायिक फाईण्डिग प्रदत्त करते हुये युक्तियुक्त आदेश पारित किया। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि अचल सम्पत्ति का अधिकार धारा 300ए भारतीय संविधान के अन्तर्गत संवैधानिक हक अधिकार होता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाये बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी खातेदारी की कृषि भूमि में उसके कानूनी हक, अधिकारों से विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरित जाकर अपीलार्थी के कानूनी हक, अधिकारों को समाप्त करने कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यायालय अवैध अपीलाधीन आदेश फौरी तौर पर विधि में

वर्णित प्रावधानों के विपरीत जाकर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जो अपीलार्थीगण के राजस्व कानूनी हक, अधिकारों का पूर्णतः हनन होने के कारण अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित कानूनी हक, अधिकारों का पूर्णतः दुरूपयोग करते हुये वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर पूर्णतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों विरूद्ध अवैध अपीलाधीन आदेश पारित करने मे अहम कानूनी भूल कारित की है। अपीलार्थीगण को साक्ष्य, समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना अवैध आदेश पारित किया है जबकि नैसर्गिंग न्याय विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि अपीलार्थीगण की आराजी में कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उनको सुना जाकर एवं पत्रावली का न्यायिक अवलोकन कर सम्यक उचित आदेश पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक व्यवस्था के विपरीत जाकर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र का हवाला देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का है। उक्त परिपत्र केवल 15.10.2016 तक ही राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत रास्ते सम्बन्धित अस्थाई निवारण हेतु पारित किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से तकमील किया गया था कि मौके पर कदीमी 12 मासिक़ प्रचलित रास्ते जो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित नही होते है एवं आमजन के लिये आने–जाने के लिये उपलबध हो उन्ही रास्तों को राजस्व नक्शे एवं राजस्व रिकार्ड में राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 एवं भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 की धारा 58, 59, 60, 61, 66, 86 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी को रास्ता दर्ज करने बाबत आदेश जारी हुआ था न कि नये सीरे से प्रस्तावित रास्ते जारी करने बाबत अथवा मौके पर चालू रास्ते के विपरीत रास्तों को बिना विधिक प्रक्रिया चौड़ा करने एवं राजस्व भू अभिलेखों मे दर्ज करने का कोई कानूनी प्रावधान उक्त नोटिफिकेशन के अन्तर्गत समाहित नही था और अन्यथा भी उक्त नोटिफिकेशन वर्ष 2016 के लिये ही पारित किया गया था जिसको आगे भी विधिक प्रावधानों के विपरीत अवैध क्रियान्वत किया गया किन्तु फिर भी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा उपरोक्त कानून का दुरूपयोग करते हुये तहसीलदार विराटनगर द्वारा विधि विरूद्ध जाकर बिना मौके की वस्तुस्थिति देखे एवं बिना राजस्व अभिलेखों का बिना अवलोकन किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुये उक्त परिपत्र में प्रदत्त दिशा–निर्देशों की तोहीन कर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत लुहाकना कलां के द्वारा प्रेषित ग्रामसभा प्रस्ताव दिनांक 31.05.2022 के प्रस्ताव संख्या 03 की नकल पेश की गई। उक्त प्रस्ताव पर अपीलार्थीगण भू अभिलेख काबिज खातेदारान काश्तकारान की कोई सहमति नही ली गई। उक्त ग्रामसभा प्रस्तावित एवं तथाकथित सहमति पत्र के अवलोकन मात्र से बखुबी साबित है कि सरपंच ग्राम पंचायत लुहाकना कलां ने अपने पद का गलत दुरूपयोग कर राजस्व कर्मचारीयों मुगालता आमेज कर न्यायिक प्रक्रिया के साथ धोखा कारित किया है। इसलिये उक्त बाइस एवं परवर्स रिपोर्ट एवं सहमति पत्र तथा ग्रामसभा प्रस्तावित संख्या 3 दिनांक 31.05.2022 प्रथम दृष्टया विरोधाभाषी दस्तावेज होने की वजह से

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के प्रकरण संख्या 49/2022 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम लुहाकना कलां में राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59,60, 66, 86 एवं राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के तहत प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के फौलोअम कैम्प के अन्तर्गत खसरा नम्बर 699, 700, 800, 701, 800/1, 801, 807 वाके ग्राम लुहाकना कलां आदेश को निरस्त फरमाया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत लुहाकना कलां के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग किये जाने के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावें ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि कदीमी प्रचलित आम रास्ता वर्षो से मौके पर कायम होने व सार्वजनिक उपयोग में आने पर प्रश्नगत भूमि के खातेदारान द्वारा स्टाम्प पत्र पर अपनी सहमति देने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसहमति से कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव संख्या 03 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 9 ने कथन किया है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पर वर्षो से कदीमी रास्ते वर्तमान में चालू स्थिति में है जो बारह मासी चालू रहता है तथा भूमि के काश्तकारों एवं अन्य ग्रामीण जन द्वारा उक्त चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु स्टाम्प पेपर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु अपनी लिखित सहमति दी गई। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2022 के अनुसार भी उक्त रास्ता कदीमी रास्ता है जो बारहमासी चालू रहता है जिसको राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि में खातेदार काश्तकार होने के कारण वे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 से प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपर न्यायालयो की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अपीलार्थीगण प्रकरण में प्रश्नगत भूमि में खातेदार काश्तकार है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि के खातेदारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही केवल तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण न्यायोचित प्रतीत नही होता है। ऐसे में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।